रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052021-227270
CG-DL-E-31052021-227270

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286] नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2021/ज्येष्ठ 10, 1943
No. 286] NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 2021/JYAISHTHA 10, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2021

सा.का.नि. 352(अ).—निम्नलिखित प्रारूप नियम, केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, जिन्हें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41(3), 64 एवं धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्याक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता हैं, और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि इन प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

2. कोई आपत्तियों या सुझावों, जो प्रारूप नियमों के प्रकाशित होने की तिथि से विनिर्दिष्ट अवधि समाप्ति के अन्तर्गत किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त होंगे, पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

3. इन प्रारूप नियमों के संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली को ईमेल comments-morth@gov.in के माध्यम से उक्त विनिर्दिष्ट अवधि में समयान्तर्गत भेजा जा सकता है ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (……..संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के, नियम 81 में, प्रथम परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा :--

"परंतु, बैटरी संचालित वाहनों के लिए, जैसा कि इन्हें नियम 2 (u) में परिभाषित किया गया है; उल्लिखित तालिका के क्रमांक 4 पर दी गयी वस्तुओं का रेजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी या नए करने तथा नए रेजिस्ट्रीकरण चिह्न प्रदान करने के लिए फीस के भुगतान से छूट दी जाएगी।";

[सं. आरटी-11036/100/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि.............(अ), तारीख..................द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2021

G.S.R 352(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 64 and 211of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL),email : comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement**.-(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Amendment………) Rules, 2021.
2. These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
3. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 81, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely.-

"Provided further that, for the Battery Operated Vehicles as defined in rule 2(u); the items given at Sl. no. 4 of the below mentioned TABLE shall be exempted from the payment of fees for the purpose of issue or renewal of registration certificate and assignment of new registration mark."

[No. RT-11036/100/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i),vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number ……..dated______.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.05.31 20:54:44 +05'30'